वित्तीय समावेशन और सूचना प्रौद्योगिकी *

उषा थोरात

प्रस्तावना

पिछले पांच वर्षों में बैंकिंग प्रणाली में देश की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि के अनुरूप और कुछेक मामलों में उससे भी अधिक गति से विपुल रूप में वृद्धि दर्ज हुई है। इसके साथ ही, बैंकिंग प्रणाली में अपनी शक्ति, कार्य कुशलता और लचीलेपन में बढ़ोत्तरी की है। भुगतान और निपटान प्रणाली में भी महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है और अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और तत्काल सकल भुगतान प्रणालियों (आरटीजीएस) का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है। इन उपलब्धियों में सूचना प्रौद्योगिकी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज बैंकों ने परिचालनों को केन्द्रीकृत कर रखा है, अधिकाधिक बैंक और शाखाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस), नेटवर्क आधारित कम्प्यूटिंग, नेटवर्क से जुड़े एटीएमों, इंटरनेट बैंकिंग, स्मार्ट कार्ड आधारित उत्पादों, चल (मोबाइल) पहुंच आदि जैसे नए वितरण माध्यमों की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और ग्राहक संबंध प्रबंधन, ग्राहक के लेन-देन के स्वरूप विश्लेषण, ऋण प्रोफाइलिंग और जोखिम प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।

इसके साथ ही परिवारों की एक विशाल संख्या औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से अब भी वंचित पड़ी है और हाल ही के कुछेक सर्वेक्षणों के अनुसार उनका हिस्सा बढ़ गया है। इस वंचन के विस्तार क्षेत्र के कई कारण हैं तथा इन्हें रंगराजन समिति (आरसी) और उससे भी बाद वाली कुछेक दिन पहले जारी की गई मुद्रा एवं वित्त पर रिज़र्व बैंक की अद्यतन रिपोर्ट के वित्तीय समावेशन से संबंधित अत्यधिक व्यापक और विश्लेषणात्मक खण्ड में अच्छी तरह प्रलेखित किया गया है। मुद्रा एवं वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गरीबी उन्मूलन के एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में वित्त तक पहुंच के महत्त्व के बारे में व्यापक अन्तरराष्ट्रीय सहमति के बावजूद अनुमान यह है कि विश्व भर में दो बिलियन से अधिक लोग इस समय वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से वंचित हैं (संयुक्त राष्ट्र, 2006)।

* एनडीटीवी द्वारा 12 सितम्बर, 2008 को दि बालरूम ताज लैण्ड्स इंड., मुंबई में आयोजित 'विजन 2020 - भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र' में श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'वित्तीय समावेशन और सूचना प्रौद्योगिकी' विषय पर दिया गया आरंभिक व्याख्यान।

पारिभाषिक मुद्दे

वित्तीय समावेशन की विश्वव्यापी रूप से स्वीकृत कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। वित्तीय समावेशन को सामान्य रूप से वित्तीय प्रणाली से अपवर्जन के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यापक तौर पर वित्तीय अपवर्जन को पहुँच, स्थितियों, कीमतों, विपणन या आत्म-अपवर्जन से जुड़ी समस्याओं के कारण आवश्यक वित्तीय सेवाओं के उपयुक्त रूप से प्राप्त करने में असमर्थता माना जाता है। वित्तीय समावेशन की कार्यपरक या परिचालनात्मक परिभाषाओं में आम तौर पर विशिष्ट वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के स्वामित्व या उन तक पहुंच पर बल दिया जाता है। ऐसा कोई एक भी व्यापक माप नहीं है, जिसका सभी अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय समावेशन के विस्तार-क्षेत्र का संकेत करने हेतु उपयोग किया जा सके। बैंक खातों की संख्या, बैंक शाखाओं की संख्या जैसे विशिष्ट संकेतक, जिनका सामान्य रूप से वित्तीय समावेशन के उपायों के रूप में उपयोग किया जाता है, किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन के स्तर के संबंध में केवल आंशिक सूचना ही उपलब्ध करा सकते हैं।

वित्तीय असमावेशन के माप

चाहे जिस किसी भी माप का उपयोग किया जाए भारत के संदर्भ में यह सुस्पष्ट है कि वित्तीय रूप से अपवर्जित वर्ग विशेषकर अल्प आय समूह जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। अखिल भारतीय ऋण और निवेश (एआइडीआइएस) 2002 सर्वेक्षण के आधार पर रंगराजन समिति ने यह दर्शाया है कि 111.5 मिलियन परिवारों की औपचारिक ऋण तक किसी प्रकार की पहुँच नहीं थी। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि 17 मिलियन परिवार साहूकारों के ऋणी थे। असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के वित्तीयन पर हाल ही की अर्जुन सेनगुप्ता रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र की (25000/- रुपये से कम के निवेश वाली) 58 मिलियन इकाइयों में से केवल 2.4 मिलियन इकाइयों को ही वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त हुए हैं। अखिल भारतीय ऋण और निवेश 2002 के सर्वेक्षण में यह भी दर्शाया गया है कि आस्ति या आय का वर्ग जितना ही कम है, अपवर्जन का स्तर उतना ही अधिक है। इन निष्कर्षों की पुष्टि इन्वेस्ट इण्डिया इन्कम्स एण्ड सेविंग्स सर्वेक्षण (2007) द्वारा हो जाती है। उक्त सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 32.8 प्रतिशत परिवारों ने संस्थागत स्रोतों से उधार ले रखा था और 67.2 प्रतिशत ने गैर-संस्थागत स्रोतों से उधार लिया था। उस सर्वेक्षण में यह भी पता चला था कि 50,000 रुपये से कम के आय वर्ग वाले अर्जकों के केवल 27.5 प्रतिशत की तुलना में 400,000 रुपये से अधिक के वार्षिक आय वर्ग में 70 प्रतिशत अर्जकों ने संस्थागत स्रोतों से उधार ले रखा था।

गैर-संस्थागत स्रोतों से वर्धित ऋण ग्रस्तता के कारण

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट द्वारा किए गए एक अत्यधिक रोचक विश्लेषण से यह पता चलता है कि 1991 और 2002 के बीच की अवधि में समग्र पारिवारिक ऋण में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण तथा गैर-संस्थागत स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों के अंश में वृद्धि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान कृषि व्यय और घरेलू खर्चों में हुई महत्त्वपूर्ण वृद्धि है। घरेलू खर्चों में अन्य खर्चों के साथ ही आवासीय भू-खण्ड की खरीद, निवास के उद्देश्य से भवन की खरीद, निर्माण, परिवर्धन/परिवर्तन, टिकाऊ घरेलू आस्तियों, वस्त्रों की खरीद और चिकित्सकीय उपचार, शिक्षा, विवाहों एवं समारोहों पर किए जाने वाले खर्च शामिल होते हैं। इस प्रकार, 'घरेलू खर्चों' में ऐसी कई मदें शामिल होती हैं, जिनके लिए गृहस्थों को संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। भारतीय प्रबंधन संस्थानों के सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि गृहस्थों द्वारा ऋण का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय आकस्मिकता, चिकित्सकीय आकस्मिकता और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने हेतु लिया

जाता है। ऋणग्रस्त अर्जकों द्वारा लिए गए ऋणों का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं तीनों उद्देश्यों के लिए था। इसके अलावा भी संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने वाले 60 प्रतिशत से अधिक अर्जकों ने उपर्युक्त तीनों की स्थिति में लोगों को उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों से संपर्क करना सुविधाजनक लगता होगा। उदाहरण के तौर पर वित्तीय आकस्मिकता में अन्य बातों के साथ ही व्यवसाय, उपभोग से संबंधित उस अनियोजित खर्च का समावेश होता है जिसका बैंकों और अन्य संस्थागत एजेन्सियों द्वारा वित्तीयन नहीं किया जा सकता।

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट में यथा-अभिज्ञात गैर-संस्थागत स्रोतों के अपेक्षाकृत अधिक अवलम्ब के कुछेक अन्य कारण हैं। 1990 वाले दशक में बैंकों के दुर्बल तुलन पत्रों और विवेकसम्मत मानदंडों के कठोर बना दिए जाने और कृषि एवं संलग्न गतिविधियों में आई मंदी के संदर्भ में गृहस्थों को औपचारिक ऋण में आई कमी के कारण बैंकों के व्यवहार में आए परिवर्तन के संदर्भ में गृहस्थों को बैंक ऋण में हुई कमी, जिसने इस प्रकार के परिवारों को उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों से संपर्क करने हेतु प्रेरित किया होगा। हालांकि, मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के सर्वेक्षण का अंतिम दौर वर्ष 2002 से संबंधित था। इसके बाद कृषि और ज़रूरतमंद क्षेत्रों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय नीतिगत पहलकदमियां की गई हैं। इन उपायों का, बाद वाली अवधि से संबंधित आंकड़ों द्वारा यथा प्रकटित रूप में वित्तीय समावेशन पर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

समावेशक वृद्धि हेतु वित्तीय समावेशन की प्राप्ति में चुनौतियां

इन सर्वेक्षणों और विश्लेषणों के निष्कर्षों को देखने पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यदि हमें व्यापक वृद्धि प्राप्त करनी है, तो वित्तीय समावेशन को तात्कालिक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। वंचित लोगों को बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाएं प्रदान किए जाने में मुख्य चुनौतियां हैं भारी संख्या को शामिल करने की विशाल लागत (भर्ती लागत), इस प्रकार के खातों के रख-रखाव की अपेक्षाकृत अधिक लागत, प्रत्येक लेन-देन हेतु कम कीमत वाला आकार अनपढ़ लोगों के लिए अनुकूल और स्थानीय भाषा में सम्प्रेषण विधियों की आवश्यकता, उत्पाद या सेवा की मूल्य वहनीयता, स्थानीय स्वीकार्यता की आवश्यकता और स्थानीय रूप से स्वीकार्य कार्मिकों की संबद्धता, इस प्रकार के दुर्गम भौगोलिक भू-भागों और क्षेत्रों, जहाँ

सारणी 1: ऋण तक पहुंच-2002 से-संस्थाओं में खाते

ऋण		
संस्थाओं में खाते-मिलियन में		
	2002	2007
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	43.3	76.6
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	12.6	15.0
उप कुल	**55.9**	**91.6**
अन्य : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	55.5	47.9
शहरी सहकारी बैंक	4.4	7.1
स्व-सहायता समूह	7.4	40.5
कुल	**123.3**	**187.1**
प्रति 100 वयस्कों के पीछे खातों की संख्या		
सभी संस्थाएं	**18**	**25**

स्रोत : मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2006-08.

सारणी 2: बचत खातों तक पहुंच-2002 से

बचत		
संस्थाओं में खाते-मिलियन में		
	2002	2007
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	246.5	320.9
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	36.7	52.7
उप कुल	**283.2**	**373.6**
अन्य : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	102.1	125.8
शहरी सहकारी बैंक	41.6	50.0
डाक कार्यालय	60.2	60.8
कुल	**487.1**	**610.2**
प्रति 100 वयस्कों के पीछे खातों की संख्या		
सभी संस्थाएं	**72**	**82**

स्रोत: मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2006-08

बिजली या सामान्य दूरसंचार सुविधाएं भी न उपलब्ध हों, में भी बड़े पैमाने पर व्याप्ति की आवश्यकता। इसके अलावा, जैसा कि अब अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआइडीआइएस) और भारतीय प्रबंधन संस्थान सर्वेक्षण के हाल के सर्वेक्षणों से यह अत्यधिक स्पष्ट हो गया है कि यह चुनौती अल्प आय वाले परिवारों और असंगठित उद्यमों को एक ऐसा साधारण ऋण उत्पाद प्रदान करने में भी निहित है, जो ऋण के प्रयोजन पर आधारित या परिवार द्वारा धारित संपार्श्विक या आस्ति या अर्जित आय से सम्बद्ध न हो, अपितु वह पूर्णरूपेण परिवार के नकदी प्रवाह और ऋण संबंधी रिकार्ड पर आधारित हो।

विज़न 2020

2020 की ओर देखने पर यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का कार्य वास्तविक रूप से चुनौतीपूर्ण है। लगभग 600 मिलियन नये ग्राहकों के खाते खोले जाने अपेक्षित होंगे और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से सेवा प्रदान की जानी अपेक्षित होगी।

वित्तीय समावेशन हेतु भा.रि. बैंक की पहलकदमियाँ

वर्ष 2005-06 की वार्षिक नीति में वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया और बैंकों से उन सभी के नो फ्रिल्स या मूलभूत बैंकिंग खाते खोलने के लिए कहा गया, जो बैंक खाते खोलने के इच्छुक हों। सरलीकृत अपने ग्राहक को जानिए, 25,000 रुपये तक के ऋणों के लिए एकमुश्त समझौता (ओटीएस), सामान्य नकद उधार (जीसीसी)/सरलीकृत ओवरड्राफ्ट सुविधा आदि प्रदान किए जाने जैसे कतिपय अन्य पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया था। पंजीकरण और पहचान को सुगम बनाने के लिए जिला समन्वय समिति, बैंक और सरकारी अधिकारियों को शामिल करते हुए जिलेवार 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के माध्यम से एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण की वकालत की गई। जनवरी, 2006 में एक अन्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपाय बैंकों को (वित्तीय) मध्यवर्तियों/एजेन्टों के माध्यम से अधिकाधिक पैठ बनाने के लिए एजेन्सी मॉडल या जिसे कारोबार सुसाधक/कारोबार संपर्ककर्ता मॉडल कहा जाता है, अपनाने की अनुमति दिया जाना है जिसके परिणाम अत्यधिक प्रभावशाली हुए। केवल दो वर्षों में ही बैंकों द्वारा खोले गए नो फ्रिल्स खातों की संख्या मार्च 2006 में लगभग आधे मिलियन खातों से बढ़ कर वर्ष 2008 में 15 मिलियन हो गई। स्मार्ट कार्ड सॉल्यूशन प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के आंकड़ों के आधार पर यह माना जा सकता है कि इन नो फ्रिल्स रहित खातों में से स्मार्ट कार्ड खातों की संख्या संभवतः 2 से 3 मिलियन तक है। रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी एजेन्सियों के मूल्यांकन से यह पता चला है कि हालांकि नो फ्रिल्स खाते खोलने का पहला चरण काफी प्रभावशाली रहा है, तथापि अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई, लेन-देन लागत और अभिगम संबंधी रुकावटों के कारण कई मामलों में खाते खोले जाने के बाद उनका परिचालन ही नहीं किया गया। अभिगम और इन खातों के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों को या तो चल शाखाओं, अनुषंगी कार्यालयों, विस्तार काउंटरों के माध्यम से या फिर स्व-सहायता समूहों (एसएचजीस)/सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआइज़) जैसे मध्यवर्तियों का उपयोग करते हुए या कारोबार संपर्ककर्ताओं के माध्यम से ग्राहक के काफी सन्निकट जा कर व्यवसाय की मात्रा और अभिगम बढ़ाने और लागत कम करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सेवा प्रदान करना होगा। इसके अलावा जैसा कि हाल ही के इन अध्ययनों और सर्वेक्षणों के परिणामों से स्पष्ट है, यदि कम आय वाले उधारकर्ताओं को इस औपचारिक प्रणाली में लाया जाना अभीष्ट हो, तो प्रदान किए जाने वाले ऋण उत्पाद को इतना सामान्य बनाना होगा कि उसमें छोटे उधारकर्ताओं की सभी आवश्यकताओं का समावेश हो जाए। मुझे इस बात के प्रति तनिक भी संदेह नहीं है कि सामान्य ओवरड्राफ्ट या नकदी प्रवाह अच्छे रिकार्ड

पर आधारित सामान्य नकद उधार सुविधा इस समय अपवर्जित लोगों की विशाल संख्या को अभिगम प्रदान करने की चुनौती से निपटने का प्रगतिशील मार्ग है।

वित्तीय समावेशन में स्व-सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की भूमिका

ऋण वितरण और सहज पहुंच में अनौपचारिकता की आवश्यकता का पता इस तथ्य से लग जाता है कि हाल के वर्षों में छोटे उधारकर्ताओं तक पहुंचने में स्व-सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का समावेश सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाले खंड में होता है। ये संस्थाएं कम कीमत वाली मदों और अंतिम आवश्यकता से जुड़े मुद्दों का निराकरण करने में समर्थ हैं। वर्ष 2003 और 2007 की चार वर्षों की अवधि में छोटे उधारकर्ता और (ऋण), अर्थात 25,000 रुपये तक के बैंक खाते 36.9 मिलियन से साधारण रूप से बढ़कर 38.6 मिलियन हो गए, जबकि स्व-सहायता समूह के उधार लेने वाले सदस्य 10 मिलियन से बढ़कर 40.5 मिलियन और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के उधारकर्ता 1.1 मिलियन से बढ़कर 8 मिलियन हो गए। 2007-08 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने 6 मिलियन ग्राहक जोड़े और 'सा दान' द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अपनी पहुंच 14 मिलियन तक कर ली।

वित्तीय समावेशन में आइसीटी की भूमिका

यह सुनिश्चित करने में समर्थ होने के लिए कि बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके और उसे बैंकों के लिए वृद्धिशील और स्थायी कारोबार में परिवर्तित किया जा सके, आइ.सी.टी. सॉल्यूशनों को अत्यधिक बड़े पैमाने और सीमा तक अपनाए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आइसीटी सॉल्यूशनों की आवश्यकता ग्राहकों के विवरण जुटाने, अनूठी पहचान को सुगम बनाने, दूर-दराज के इलाकों तथा समस्त बहुविध वितरण माध्यमों तक विश्वसनीय और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हुए उन्हीं वितरण चैनलों के माध्यम से (बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाज़ार के) बहुविध वित्तीय उत्पाद प्रदान करने, ऋण वितरण और ऋण मूल्य-निर्धारण के लिए अति आवश्यक एक व्यापक और विश्वसनीय ऋण आसूचना प्रणाली विकसित करने, स्थानीय आवश्यकताओं एवं खण्डों के लिए निर्मित उपयुक्त उत्पादों का विकास करने, ग्राहक शिक्षण एवं परामर्श प्रदान करने, सूचना एवं सलाह का प्रसार करने हेतु मल्टी-मीडिया और बहु-भाषा के उपयोग में समर्थ बनाने के लिए होती है।

सारणी 3: नो-फ्रिल्स खाते-बैंकों की प्रगति

बैंकों द्वारा निम्न दिनांक तक खोले गए खातों की संख्या

श्रेणी	मार्च 31, 2006	मार्च 31, 2007	मार्च 31, 2008*
सरकारी क्षेत्र के बैंक	332,878	5,865,419	13,925,674
निजी क्षेत्र के बैंक	156,388	856,495	1,879,073
विदेशी बैंक	231	2,753	33,115
कुल	**489,497**	**6,724,667**	**15,837,862**

* अनंतिम।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

वित्तीय समावेशन हेतु आइसीटी - रिज़र्व बैंक की पहलकदमियां

अब मैं वित्तीय समावेशन हेतु आइसीटी के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा की गईं विशिष्ट पहलकदमियों की ओर बढ़ती हूँ। सर्वप्रथम पहलकदमी वित्तीय समावेशन के लिए एजेन्सी या कारोबार संपर्ककर्ता मॉडल अपनाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी सॉल्यूशनों के उपयोग पर बल दिए जाने से संबंधित थी। रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाले गए एक आलेख में दूर-दराज की शाखाओं को उपग्रह कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु रिज़र्व बैंक की सहायता से एक योजना की परिकल्पना की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को उनके परिचालनों को कंप्यूटरीकृत करने और वित्तीय समावेशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉल्यूशनों को अपनाने के लिए सहायता प्रदान करने पर विचार करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा गठित तीन कार्यदलों की रिपोर्टों को अभ्युक्ति हेतु सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र में रख दिया गया है। इन कार्यदलों ने यह सिफारिश की है कि बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी) सूचना

प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ब्याज-रहित ऋण प्रदान कर सकता है। अभ्युक्तियों और अनुक्रियाओं के आधार पर रिज़र्व बैंक इन योजनाओं की पुष्टि करेगा। मोबाइल फोनों (कम आय वर्ग वाली सहित) की पैठ तथा बैंकिंग की पहुंच को विस्तारित करने में उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रचुर अवसरों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग के संबंध में एक आलेख को सार्वजनिक प्रभाव-क्षेत्र में रखा था और इससे संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। एनएफएस एटीएमों की राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग सुविधा प्रदान करने में समर्थ है तथा वह एनएफएस से जुड़े एटीएमों के माध्यम से विप्रेषणों सहित बैंकिंग लेन-देन को सुविधाजनक बना सकता है। अप्रैल 1, 2009 से कोई ग्राहक बिना किसी लागत के अपने खाते का परिचालन करने हेतु किसी भी (अन्य बैंक के एटीएमों सहित) एटीएम का उपयोग कर सकेगा। अन्य पहलकदमियों में वे सुविधाएं शामिल हैं, जो अपेक्षाकृत त्वरित गति और सुरक्षित ढंग से मुद्रा एवं निधि अंतरण सुनिश्चित करती हैं। वास्तव में रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उपयोग हेतु सेवा प्रभारों के युक्तिकरण से संबंधित एक ऐसा दस्तावेज़ कल ही अपनी वेबसाइट पर डाला है, जो अपेक्षाकृत कम लागत पर निधियों के संचालन को सुगम बना देगा।

लाभों का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

सरकारी लाभों के संवितरण हेतु बैंक खातों के उपयोग के लाभों को पहचानते हुए कई राज्य सरकारों ने नरेगा (एनआरईजीए) भुगतानों के सामाजिक सुरक्षा लाभों का तड़क-भड़क रहित खातों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से और कुछेक राज्यों में जीव-सांख्यिकीय पहचान वाले स्मार्ट कार्डों के माध्यम से परिचालित किए जाने वाले खातों से वितरण किए जाने का निर्णय लिया है। रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक समिति ने उन विविध मॉडलों की जाँच की है, जिनके माध्यम से इस प्रकार के भुगतान किए जा सकते हैं और उसने बैंक के नेतृत्व वाले एक ऐसे मॉडल की सिफारिश की है, जिसमें सरकार और बैंकों के बीच लागत में हिस्सेदारी की जाएगी। प्रारंभिक चरणों में रिज़र्व बैंक अथवा वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि से सहायता पर भी विचार किया जा सकता है। इस प्रकार के खाते जो सरकारी लाभों/भुगतानों को प्राप्त किए जाने हेतु खोले गए हैं, कई प्रकार की अन्य वित्तीय सेवाओं का आधार बन सकते हैं और वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं।

विनियामक ढांचा

सामान्य रूप से बैंकिंग सेवाओं और विशेष रूप से वित्तीय समावेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सॉल्यूशनों से संबंधित विनियम बैंकिंग प्रणाली की ईमानदारी सुनिश्चित करने तथा ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित करने से संबंधित होते हैं। इनमें ग्राहक की पहचान/अधिप्रमाणन, ग्राहक की गोपनीयता/निजता, अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण मुद्दों, आउटसोर्सिंग, बैंकों के एजेन्टों हेतु उनके दायित्व, अन्तर परिचालनीयता और मुक्त मानक सुनिश्चित किए जाने, भुगतान प्रणाली और विनियमों से संबंधित मानकों और उनके पालन की प्रतिकृति तैयार किए जाने का समावेश है।

भावी मार्ग

भावी मार्ग में आने वाली चुनौतियां होंगी बैंकों द्वारा कई प्रकार की वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु बहुविध चैनलों का उपयोग किया जाना, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्व-सहायता समूहों के साथ, इस प्रकार की मध्यवर्तियों से जुड़े मॉडलों के आधार पर सीवन-रहित आइसीटी लागू करते हुए सहयोग विकसित करना। इस प्रकार के बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी के अंगीकरण को सुगम बनाने हेतु कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, ऋण आसूचना और कुशल ऋण वितरण तथा काफी बड़े पैमाने पर जोखिम प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, नकदी के उपयोग, अवसरों की पहचान करने और उनकी अवस्थिति सहित विशिष्ट शक्तियों का लाभ उठाने हेतु बैंकिंग प्रणाली, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में पर्याप्त अग्रणियों के उद्भव से बचना।